

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर - थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर.....वर्ष2022.....
2. प्र.इ.रि.सं..... 499/2022..... दिनांक 28/12/2022
 - (I) * अधिनियम -..... 13(1)(ई), 13(2) पीसी एक्ट 1988 एवं धारा 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018)
 - (II) * अधिनियम भा.द.सं. धारा -
 - (III) * अधिनियम.....-..... धाराएं.....-
 - (IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 561 समय..... 4:40 pm.....
(ब) अपराध घटने का दिन व समय- दिनांक 05.11.1982 से 10.07.2019
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक - 10.07.2019
4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक - -
5. घटनास्थल :-
 - (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी -
 - (ब) पता

बीटसंख्या.....-.....जुरायमदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना-
6. परिवादी /सूचनाकर्ता :-
 - (अ) नाम - राज्य सरकार द्वारा श्री श्रवण कुमार पुलिस निरीक्षक
 - (ब) पिता/पति का नाम -
 - (स) जन्म तिथि/आयु -
 - (द) राष्ट्रीयता -
 - (य) पासपोर्ट संख्या..... जारी होने की तिथि..... जारी होने की जगह
 - (र) पेशा -
 - (ल) पता - पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-
श्री राजसिंह परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) कार्यवाहक आवासीय अभियंता राजस्थान आवासन मण्डल बीकानेर निवासी मकान नम्बर सी-8/10 पटेल नगर बीकानेर
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :- कोई विलम्ब नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य
11. पंचनामा यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :-
महोदय,

निवेदन है कि श्री राजसिंह तत्कालीन परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) एवं कार्यवाहक आवासीय अभियंता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड प्रथम, बीकानेर द्वारा परिवादी श्री अब्दुल सत्तार निवासी बीकानेर से रिश्वत राशि की मांग कर प्राप्त करने पर ब्यूरो द्वारा ट्रेप कार्यवाही की गई। दौरान ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री राजसिंह परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) कार्यवाहक आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल बीकानेर के निवास स्थान मकान नम्बर सी-8/10 पटेल नगर बीकानेर की खाना तलाशी दिनांक 10.07.2019 को तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर द्वारा रुबरू स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ एवं आरोपी के पुत्र हिमशेखरसिंह व आरोपी राजसिंह की उपस्थित में ली गई। खाना तलाशी के दौरान आरोपी के मकान में मिले घरेलू सामान, सोने चांदी के जेवरात, वाहन, नकद राशि, भूखण्डो एवं बैंक खातों के दस्तावेज इत्यादि मिले जिसका विवरण फर्द खाना तलाशी दिनांक 10.07.2019 में उल्लेख किया गया है।



खाना तलाशी की जांच से पाया गया कि आरोपी श्री राजसिंह की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक 05.11.1982 में हुई थी, जो ट्रेप दिनांक 10.07.2019 को परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) राजस्थान आवासन मण्डल बीकानेर में पदस्थापित था। प्रथम नियुक्ति दिनांक 05.11.1982 से दिनांक 10.07.2019 तक वेतन भत्तो से आरोपी को अनुमानित सकल वेतन राशि 1,38,49,804 रुपये प्राप्त हुई है। आरोपी को अनुमानित कुल शुद्ध आय 1,05,15,191 रुपये प्राप्त हुए हैं आरोपी का सकल वेतन में 1/3 भाग रसोई खर्च मानने पर कुल राशि 46,16,601 रुपये व्यय हुए हैं। उपरोक्तानुसार इनकी आय एवं व्यय पक्ष में शामिल किया गया है। आरोपी राजसिंह के मकान की खाना तलाशी दिनांक 10.07.2019 में घरेलू सामान की अनुमानित कीमत स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी के बताये अनुसार अंकित की गई। जिसके अनुसार घरेलू सामान की अनुमानित कीमत 245,400, जेवरात की अनुमानित कीमत 913500 रुपये एवं विभिन्न जगहों पर नकद राशि 789500 रुपये मिली थी, जो इनकी सम्पत्ति पक्ष में शामिल की गई है।

आरोपी राजसिंह के मकान की खाना तलाशी में एक आर.सी मोटरसाईकिल हिरो होण्डा नम्बर आरजे 07 5एम 2971 मिली थी, जिनकी सूचना परिवहन विभाग बीकानेर से प्राप्त की गई तो उक्त मोटरसाईकिल काफी वर्ष पुरानी होने से सूचना प्राप्त नहीं हो सकी, जिनकी अनुमानित कीमत 15000 रुपये मानी गई है, उक्त मोटरसाईकिल के रखरखाव व पेट्रोल के पेटे अनुमानित व्यय राशि 130000 रुपये जो आरोपी के सम्पत्ति पक्ष में शामिल की गई है तथा तलाशी में एक स्कूटी होण्डा एक्टिवा नम्बर आरजे 07 एसक्यू 9431 आरोपी के घर पर खड़ी पाई गई थी, जिसकी सूचना परिवहन विभाग बीकानेर से प्राप्त अनुसार उक्त स्कूटी होण्डा आरोपी की पुत्री मानसीसिंह के नाम से वर्ष 2013 में क्रय किया जाना पाई गई, उक्त वाहन स्कूटी के रजिस्ट्रेशन व कर राशि 2020 रुपये पाई गई है, स्कूटी के रखरखाव व पेट्रोल के पेटे अनुमानित व्यय राशि 144000 रुपये, जो आरोपी के सम्पत्ति पक्ष में शामिल की गई है। आरोपी की पत्नी श्रीमति सुशीला रानी के नाम बी ब्लॉक में दुकान संख्या 35 व 36 राशि 80000 रुपये में दिनांक 15.02.2013 को खरीदी गई थी, उक्त राशि को आरोपी की आय पक्ष में शामिल की गई है। खाना तलाशी जांच के दौरान उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय जयपुर के पत्रांक 1153 दिनांक 07.09.2021 के अनुसार आवास संख्या 21/190 कावेरी पथ मानसरोवर जयपुर आरोपी श्री राजसिंह पुत्र श्री जीवनसिंह के नाम होना पाया गया है। उक्त भूखण्ड राशि 379020 रुपये में क्रय किया गया है जो कीमत आरोपी के सम्पत्ति पक्ष में शामिल की गई है। इसी प्रकार गांव याईयापुर व लाडपुर व पलड़ी तहसील खातोली जिला मुजफरनगर (उत्तरप्रदेश) में कुल 66.10 बीघा पक्की भूमि आरोपी की पैतृक होना पाई गई है। खाना तलाशी के दौरान तहसीलदार खातोली जिला मुजफरनगर (उत्तरप्रदेश) से प्राप्त सूचना के अनुसार आरोपी के हिस्से की भूमि 1.5414 हैक्टर भूमि अपने हिस्से में आना पाई गई है, उक्त कृषि भूमि से होने वाली आय से सम्बन्धित जांच के दौरान आरोपी राजसिंह ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये।

खाना तलाशी जांच के दौरान आरोपी श्री राजसिंह व उनकी पत्नी श्रीमति सुशीला रानी व पुत्र श्री हिमशंखरसिंह व पुत्री मानसीसिंह के नाम से विभिन्न बैंकों के खातों में जमा राशि 2822457 रुपये पायी गई जो सम्पत्ति पक्ष प्रपत्र 'ब' में दर्शाई गई है तथा आरोपी राजसिंह के नाम की कुल तीन एफ.डी.आर जिनमें जमा राशि 2062168 रुपये है, जो आरोपी के सम्पत्ति पक्ष में शामिल की गई है। आरोपी राजसिंह के नाम तीन एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम के नाम से, जिनमें जमा करवाई गई राशि आरोपी के सम्पत्ति पक्ष में शामिल की गई है। आरोपी की पत्नी श्रीमति सुशीला व आरोपी की माता श्रीमति अंगुरी देवी की आकस्मिक चैकिंग एसीबी चुरु द्वारा ली गई तो उनके कब्जे में 2,49,000 रुपये जब्त की गई, जो आरोपी के सम्पत्ति पक्ष में शामिल की गई है।

इस प्रकार आरोपी श्री राजसिंह परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) एवं कार्यवाहक आवासीय अभियंता राजस्थान आवासन मण्डल बीकानेर निवासी मकान नम्बर सी-8/10 पटेल नगर बीकानेर की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक 05.11.1982 से ट्रेप दिनांक 10.07.2019 तक प्राप्त वैध आय एवं परिसम्पतिया-व्यय निम्नानुसार पायी गई है-

स्टेटमेंट "अ"

प्रथम नियुक्ति दिनांक 05.11.1982 से पूर्व अर्जित सम्पतियों एवं आय का विवरण।

क्र.	परिसम्पतियों एवम आय का विवरण	खरीदने/निवेश की दि०/वर्ष	किसके नाम के खरीदी गई एस.ओ से संबंध	परिसम्पति का मूल्य	वर्तमान में परिसम्पति के उपलब्ध होने का विवरण
1.	गांव याईयापुर, लाडपुर पलडी तहसील खातौली, जिला मुजफरनगर	पैतृक	एसओ के पिता	-	1.5414 हैक्टर भूमि
योग					-

स्टेटमेंट "ब"

दिनांक 10.07.2019 को मौजूद पाई गई परिसम्पतियों का विवरण।

क्र.सं.	परिसम्पतियों का विवरण	खरीदने/निवेश की दि०/वर्ष	किसके नाम के खरीदी गई एस.ओ से संबंध	परिसम्पति की खरीद का कुल मूल्य
1	खाना तलाशी के दौरान आरोपी के आवास पर पाये गये सामान की अनुमानित कीमत	सेवाकाल	एसओ द्वारा	245400
2	आरोपी की खाना तलाशी में मिले सोने चांदी के जेवरात की अनुमानित राशि	सेवाकाल	एसओ द्वारा	913500
3	आईसीआईसीआई बैंक की चैक बुक खाता संख्या 670201003704 आरोपी के नाम अन्तिम बैलेंस	सेवाकाल	एसओ द्वारा	647279
4	एसबीबीजे की चैक बुक खाता संख्या 51011819892 आरोपी की पत्नी श्रीमति सुशीला रानी के नाम अन्तिम बैलेंस	सेवाकाल	एसओ व एसओ की पत्नी	10,22,740
5	पजांब नेशनल बैंक की पास बुक खाता संख्या 0100702182 आरोपी राजसिंह के नाम अन्तिम बैलेंस	सेवाकाल	एसओ द्वारा	0
6	एसबीआई बैंक की पास बुक खाता संख्या 61230644788 आरोपी के पुत्र	चैक पिरियड	एसओ का पुत्र	201998

	हिमशेखरसिंह के नाम अन्तिम बैलेंस			
7	बैंक ऑफ बड़ौदा की पास बुक खाता संख्या 18650100012718 आरोपी के पुत्र हिमशेखरसिंह के नाम अन्तिम बैलेंस	चैक पिरियड	एसओ का पुत्र	201998
8	एसबीआई बैंक की पास बुक खाता संख्या 51030724202 आरोपी के नाम अन्तिम बैलेंस	सेवाकाल	एसओ द्वारा	16869
9	एसबीआई बैंक की पास बुक खाता संख्या 51011804295 आरोपी के नाम अन्तिम बैलेंस	सेवाकाल	एसओ द्वारा	11923
10	एसबीआई बैंक की पास बुक खाता संख्या 51109494827 आरोपी के नाम अन्तिम बैलेंस	सेवाकाल	एसओ द्वारा	614472
11	यूनियन बैंक की पास बुक खाता संख्या 309902010009784 आरोपी के नाम अन्तिम बैलेंस	सेवाकाल	एसओ द्वारा	173382
12	आईसीआईसीआई बैंक में एफडीआर संख्या 670213000516 दिनांक 13.12.2018 आरोपी के नाम	सेवाकाल	एसओ द्वारा	214834
13	आईसीआईसीआई बैंक में एफडीआर संख्या 670213000734 दिनांक 12.11.2018 आरोपी के नाम	सेवाकाल	एसओ द्वारा	900000
14	आईसीआईसीआई बैंक में एफडीआर संख्या 670213000733 दिनांक 12.11.2018 आरोपी के नाम	सेवाकाल	एसओ द्वारा	900000
15	बैंक ऑफ इण्डिया की पासबुक खाता संख्या 610310110002924 आरोपी की पुत्री मानसीसिंह के नाम	चैक पिरियड	एसओ व उनकी पुत्री	33184
16	बैंक ऑफ इण्डिया की पास बुक खाता संख्या 1583813287 आरोपी के नाम दिनांक 31.05.2019 को अन्तिम बैलेंस	सेवाकाल	एसओ द्वारा	596186
17	आरोपी के नाम एलआईसी संख्या 331639569 दिनांक 07.03.2007 से प्रारम्भ प्रति वर्ष मासिक किश्त 7430 रुपये के हिसाब से कुल राशि	दिनांक 07.03.2007 से 10.07.2019	एसओ द्वारा	91017

18	आरोपी के नाम एलआईसी संख्या 332027971 दिनांक 28.12.2007 से प्रारम्भ प्रति वर्ष मासिक किश्त 7096 रूपये के हिसाब से कुल राशि	दिनांक 28.12.2007 से 10.07.2019	एसओ द्वारा	81608
19	आरोपी के नाम एलआईसी संख्या 332466639 दिनांक 26.02.2009 से प्रारम्भ प्रति वर्ष मासिक किश्त 6916 रूपये के हिसाब से कुल राशि	दिनांक 26.02.2009 से 10.07.2019	एसओ द्वारा	78376
20	आरोपी की पत्नी श्रीमति सुशीला रानी के नाम समीक्षा सीटी शोभासर रोड़ बीकानेर में बी ब्लॉक में दुकान संख्या 35 साईज 10 गुणा 25 राशि 40000	वर्ष 2013	एसओ व उनकी पत्नी	40000
21	आरोपी के नाम प्लॉट नम्बर 21/190 कावेरी पथ मानसरोवर जयपुर कन्वीनश डीड व आवंटन पत्र	वर्ष 1992	एसओ द्वारा	379020
22	आरोपी की पत्नी श्रीमति सुशीला रानी के नाम समीक्षा सीटी शोभासर रोड़ बीकानेर में बी ब्लॉक में दुकान संख्या 36 साईज 10 गुणा 20 राशि 40000	वर्ष 2013	एसओ व उनकी पत्नी	40000
23	वसीयत श्रीमति अंगूरी देवी पत्नी स्व. श्री जीवणसिंह बहक आरोपी का पुत्र श्री हिमशेखरसिंह का मकान नम्बर सी 8/10 पटेल नगर बीकानेर	वर्ष 2001	एसओ व एसओ का पिता	33292
24	ईकरारनामा द्वारा आरोपी की माता श्रीमति अंगूरी देवी पत्नी स्व. श्री जीवणसिंह बहक कृष्णलाल पुत्र श्री मनफूलराम सोनी निवासी रामपुरा पीलीबंगा जिला हनुमानगढ को प्लॉट वार्ड नम्बर 04 सूरतगढ साईज 40 गुणा 70 विक्रय राशि 7,10,000 साई पेटे राशि 100000 दिनांक 24.07.2008	वर्ष 2008	एसओ द्वारा	100000
25	एक मोटरसाईकिल हिरो होण्डा नम्बर आरजे 07 5एम 2971 (परिवहन विभाग बीकानेर से सूचना प्राप्त नहीं हुई है) अनुमानित राशि मानी गई है।	सेवाकाल	एसओ द्वारा	15000
26	एक स्कूटी होण्डा एक्टीवा नम्बर आरजे 07 एसक्यू 9431 आरोपी की पुत्री	वर्ष 2013	एसओ द्वारा	48971

	मानसीसिंह के नाम			
27	आरोपी की पत्नी श्रीमति सुशीला रानी व आरोपी की माता श्रीमति अंगुरी देवी की आकस्मिक चैकिंग चुरु एसीबी द्वारा दिल्ली जाने वाली ट्रेन में	10.07.2019	एसओ द्वारा	249000
28	नकद राशि	10.07.2019	एसओ	789500
योग				7616809

स्टेटमेंट "स"

आरोपी श्री राजसिंह की प्रथम नियुक्ति दिनांक 05.11.1982 से ट्रेप दिनांक 10.07.2019 तक वैध आय का विवरण।

क्र.सं.	आय का शीर्षक विवरण	आय प्राप्त होने की दि0/वर्ष	किसके द्वारा आय अर्जित की गई- एस.ओ से संबंध	शुद्ध आय की राशि रु.
1.	आरोपी को वेतन भत्तों से प्राप्त शुद्ध आय	सेवाकाल	एसओ. द्वारा	10515191
योग				10515191

स्टेटमेंट "द"

आरोपी श्री राजसिंह की प्रथम नियुक्ति दिनांक 05.11.1982 से ट्रेप दिनांक 10.07.2019 तक की अवधि में एस.ओ., उसकी पत्नी व पुत्रों के द्वारा किये गये खर्चों का विवरण।


क्र.सं.	खर्च का शीर्षक विवरण	खर्च करने की दिनांक/ वर्ष अवधि	किसके द्वारा खर्च किया गया, एस.ओ. से संबंध।	खर्च की राशि।
1	आरोपी को वेतन भत्तों से प्राप्त कुल सकल वेतन 1,38,49,804 रुपये का 1/3 भाग रसोई खर्च	चैक पिरियड	एसओ द्वारा	4616601
2	आरोपी की पुत्रीयों की शादी पर अनुमानित व्यय राशि	सेवाकाल	एसओ द्वारा	1000000
3	आरोपी के पुत्र व पुत्रीयों की शिक्षा पर अनुमानित व्यय राशि	सेवाकाल	एसओ द्वारा	500000
4	वाहन मोटरसाईकिल हिरो होण्डा नम्बर आरजे 07 5एम 2971 पेट्रोल एवं रखरखाव के पेटे अनुमानित व्यय राशि	सेवाकाल	एसओ द्वारा	130000
5	स्कूटी होण्डा एक्टीवा नम्बर आरजे 07 एसक्यू 9431 पेट्रोल एवं रखरखाव के पेटे अनुमानित व्यय राशि	2013-2019	एसओ द्वारा	144000

6	उक्त स्कूटी होण्डा एक्टीवा नम्बर आरजे 07 एसक्यू 9431 का रजिस्ट्रेशन व कर राशि	2013-2019	एसओ द्वारा	2020
योग				6392621

इस प्रकार आरोपी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 05.11.1982 से दिनांक 10.07.2019 तक वेतन भत्तो से प्राप्त शुद्ध आय 10515191 रूपये पायी गई है। आरोपी राजसिंह द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान अर्जित कुल परिसम्पतियां 7616809 रूपये तथा व्यय की राशि 6392621 रूपये पाई गई है। आरोपी राजसिंह की कुल परिसम्पतियां एवं व्यय की राशि 14009430 रूपये है। जो वैधानिक आय से 3494239 रूपये अधिक होना पायी गई है जो कि वैध आय की तुलना में 33.23 प्रतिशत राशि सेवाकाल के दौरान भ्रष्ट आचरण कर अर्जित किया जाना प्रथम दृष्टया पाया गया है। आरोपी श्री राजसिंह का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रथम दृष्टया घटिता होना पाया जाता है।

अतः आरोपी श्री राजसिंह तत्कालीन परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) एवं कार्यवाहक आवासीय अभियंता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड प्रथम, बीकानेर निवासी मकान नम्बर सी-8/10 पटेल नगर बीकानेर (हाल सेवानिवृत्त) के विरुद्ध आय से अधिक सम्पति अर्जित करने का प्रकरण अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी एफआईआर वास्ते पंजीयन एवं कमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय,



(श्रवण कुमार)


पुलिस निरीक्षक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

बीकानेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री श्रवण कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 13(1)(बी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री राजसिंह परियोजना अभियन्ता(वरिष्ठ), कार्यवाहक आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल बीकानेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 499/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।



28.12.22
(योगेश दाधीच)

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

क्रमांक:- 4213-16 दिनांक: 28.12.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।


28.12.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।